न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 08/2022

निर्णय दिनांक: 28.08.2024

ऑनलाईन नम्बर 2022/8

महावीरप्रसाद पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–प्रार्थी–

बनाम

1. कुलवन्त पुत्री स्व. चुका 2. कृष्णा पुत्री स्व. चुका 3. दुरगाराम पुत्र मालाराम 4. पृथ्वी पुत्री स्व. चुका 5. भींवराज पुत्र पूर्णाराम 6. मेघराज पुत्र पूर्णाराम 7. सुमन पुत्री स्व. चुका जातियान मीणा निवासीगण श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति:–

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रार्थी ।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री कैलाशचन्द्र सारस्वत अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से।
4. एकतरफा कार्यवाही अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 व 4 ता 7

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमान्जी प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत खसरा नंबर 78 तादादी 2.3100 हैक्टेयर रोही मोजा सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। प्रार्थी अपने इस खेत खसरा नंबर 78 में आवागमन हेतु श्रीडूंगरगढ़ से चलकर खसरा नंबर 75 के उतरी पूर्वी कोने से पश्चिमी की ओर रेलवे लाइन के पास–पास प्रचलित गैर कटाणी रास्ता से होता हुआ अपने खेत खसरा नंबर 78 तादादी 2.3100 हैक्टेयर रोही सालासर में आवागमन करता था। प्रार्थी अपने खेत में गत 50 वर्षो से अधिक समय से उपरोक्त खेत में से चल रहे प्रचलित रास्ता से आवागमन करता रहा। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु यही एकमात्र रास्ता सदामद से रहा है। इस रास्ता के अलावा प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु कोई सुगम व सुलभ रास्ता नहीं है। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है जो प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है। प्रार्थी के खेत मे वर्णित रास्ते का अप्रार्थीगण ने तारवन्दी व पटिया लगाकर बन्द कर दिया है इस बाबत प्रार्थी ने पूर्व मे भी कई बार श्रीमान् तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ़ को प्रार्थना पत्र दिया, मगर अप्रार्थीगण ने आज तक प्रार्थी के उक्त रास्ता को खोला नही है व बंद कर रखा है । अप्रार्थीगण को प्रार्थी ने कई बार उक्त रास्ता को खोलने का निवेदन किया मगर अप्रार्थीगण जानबूझकर रास्ता को खोल नही रहे है तथा बार–बार रास्ता को अवरूद्ध कर रहे है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत मे आवागमन करने में बाधा पहुंचाई है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध श्रीमान् तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया मगर अप्रार्थीगण ने आज तक उक्त रास्ता को नही खोला गया। जिससे प्रार्थी को पुन्दलसर होकर जाना पड़ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Umesh Mittal
Date: 2024.09.04 11:00:12 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

है जिससे प्रार्थी को काफी परेशानियो को सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 78 को विद्यमान रास्ता की चौड़ाई 5 मीटर है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 75 तादादी 3.4100 हैक्टेयर रोही सालासर के उतरी पूर्वी कोने से पश्चिमी की ओर से रेलवे लाइन के पास पास होकर प्रार्थी अपने खसरा नम्बर 78 में प्रवेश करता था यही रास्ता प्रार्थी के खेत मे जाता है जो अत्यन्त आवश्यक व प्रार्थी के खेत तक पहुचने का एकमात्र रास्ता है वर्णित रास्ता सुविधा का न होकर आवश्यकता का है उक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत तक पहुचने का कोई अन्य रास्ता नही है उपरोक्त रास्ता से ही प्रार्थी अपने खेत मे मय पशुधन, पैदल, ट्रेक्टर–ट्राली आवागमन करता है अप्रार्थीगण आवागमन मे प्रचलित रास्ता मे तारबन्दी व पटिटयो को रोपकर बाधा पहुचा रहे है । प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत रोही ग्राम सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे स्थित है, इसलिए प्रार्थना–पत्र श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद व पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तूत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तूत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 78 तादादी 2.3100 हैक्टेयर रोही ग्राम सालासर का रास्ता अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 7 के सयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 75 तादादी 3.4100 हैक्टेयर रोही ग्राम सालासर मे से अमल दरामद गेर मुम्मकिन रास्ता के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे कायम करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 8 को आदेशित किया जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 व 4 ता 7 अखबार साया तलबी के उपरान्त भी अनुपस्थित रहनें के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 03 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत खसरा नंबर 78 तादादी 2.3100 हैक्टेयर रोही मोजा सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। प्रार्थी अपने इस खेत खसरा नंबर 78 में आवागमन हेतु श्रीडूंगरगढ़ से चलकर खसरा नंबर 75 के उतरी पूर्वी कोने से पश्चिमी की ओर रेलवे लाइन के पास–पास प्रचलित गैर कटाणी रास्ता से होता हुआ अपने खेत खसरा नंबर 78 तादादी 2.3100 हैक्टेयर रोही सालासर में आवागमन करता था। प्रार्थी अपने खेत में गत 50 वर्षो से अधिक समय से उपरोक्त खेत में से चल रहे प्रचलित रास्ता से आवागमन करता रहा। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु यही एकमात्र रास्ता सदामद से रहा है। प्रार्थी के खेत मे वर्णित रास्ते का अप्रार्थीगण ने तारवन्दी व पटिया लगाकर बन्द कर दिया है इस बाबत प्रार्थी ने पूर्व मे भी कई बार श्रीमान् तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ़ को प्रार्थना पत्र दिया, मगर अप्रार्थीगण ने आज तक प्रार्थी के उक्त रास्ता को [illegible] है व बंद कर रखा है। प्रार्थी को पुन्दलसर होकर जाना पड़ता [illegible] नियो को सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 78 को [illegible] रास्त चौड़ाई 5 मीटर है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 75 तादादी 3.4100 [illegible]क्टेयर रोही सालासर के उतरी पूर्वी कोने से पश्चिमी की ओर से रेलवे लाइन के पास पास होकर प्रार्थी अपने खसरा नम्बर 78 में प्रवेश करता था यही रास्ता प्रार्थी के खेत मे जाता है जो अत्यन्त आवश्यक व प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.04 11:00:12 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

खेत तक पहुचने का एकमात्र रास्ता है वर्णित रास्ता सुविधा का न होकर आवश्यकता का है उक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत तक पहुचने का कोई अन्य रास्ता नही है उपरोक्त रास्ता से ही प्रार्थी अपने खेत मे मय पशुधन, पैदल, ट्रेक्टर–ट्राली आवागमन करता है अप्रार्थीगण आवागमन मे प्रचलित रास्ता मे तारबन्दी व पटिटयो को रोपकर बाधा पहुचा रहे है । प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 78 तादादी 2.3100 हैक्टेयर रोही ग्राम सालासर का रास्ता अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 7 के सयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 75 तादादी 3.4100 हैक्टेयर रोही ग्राम सालासर मे से अमल दरामद गेर मुम्मकिन रास्ता के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे कायम करने का निवेदन किया गया। अपनी बहस के समर्थन में माननीय न्यायालय बोर्ड ऑफ रेवन्यू राजस्थान, अजमेर के न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2023(1) पृष्ठ संख्या 103 से 106 पेश की गई।

अप्रार्थी संख्या 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया कि अप्रार्थी के खेत खसरा नंबर 75 रकबा 3.41 हैक्टेयर रोही ग्राम सालासर में से चाहा गया रास्ता कोई प्रचलित रास्ता आज दिनांक तक नहीं रहा है। प्रार्थी पहले हम अप्रार्थी के खेत खसरा नंबर 75 की दक्षिणी सिंव के सहारे सहारे चलतें हुए आगे के खेत में से होते हुए अपने खेत में आवगामन करता था। इसलिए तहसीलदार श्रीडूंगरगढ ने प्रार्थी के द्वारा चाहे गये रास्ते बाबत् कोई कार्यवाही नही की। प्रार्थी अपनी सुविधानुसार कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग कर नया रास्ता कायम करवानें का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 78 के चिपतें ही दक्षिण दिशा में प्रार्थी कि पत्नी के नाम खातेदारी खेत खसरा नंबर 77 रोही सालासर में स्थित है तथा खसरा नंबर 77 के दक्षिण दिशा में खेत खसरा नम्बर 97 स्थित है तथा खसर नंबर 94 में से होकर चलने वाले रास्ता श्रीडूंगरगढ से सालासर जाने वाले रास्ते से होकर प्रार्थी अपने खेत में आवागमन करता है जो आज भी चालू है। यह रास्ता प्रार्थी के निकटतम एवं कम दूरी का रास्ता है। प्रार्थी अपनी सुविधानुसार, सुगम व सरल रास्ता प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी के खेत का आवागमन का रास्ता खेत खसरा नंबर 94 में से चालू रास्ते से तथा श्रीडूंगरगढ से पुन्दलसर जाने वाल रास्ते से चालू है। प्रार्थी ने केवल मात्र खसरा नंबर 75 में ही कटाणी मार्ग दर्ज करवानें का अनुतोष चाहा है जबकि रास्ता राज से ही जोडकर नया रास्ता राज दर्ज करनें का नियम है। भू. अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट मौका पर दिनांक 26.04.2022 के अनुसार हस्तगत प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने अपनी बहस करते हुए कथन किया कि दिनांक 27.10.2022 को उभयपक्षकारान की उपस्थिति में खेत खसरा नंबर 75 व 78 के आस पास के दोनों पक्षों द्वारा बतायें गये रास्तो का मौका मुआयना किया गया। प्रार्थी द्वारा खेत खसरा नंबर 75 की उतरी सीमा के चिपते खेत खसरा नंबर 75 में से जिस रास्ते की मांग की गई है वह रास्ता प्रचलित रास्ता भी है जिसके संबंध में माननीय न्यायालय तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा मुकदमा नंबर 06/2015 निर्णय दिनांक [illegible].08.2015 में फैसला हो चुका है। जिसमें इस रास्ते को एक प्रचलित रास्ता माना गया है तथा यह रास्ता प्रार्थी के लिए सुविधा का न होकर आवश्यकता का है तथा खेत खसरा नंबर 75 की उतरी सीमा में लम्बाई 182 मीटर को मद्धेनजर रखतें हुए यदि 5 मीटर चौडाई का रास्ता कटानी किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.04 11:00:12 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

जाता है तो इसका क्षेत्रफल 910 वर्गमीटर होगा। तथा इस रास्ते के अलावा खेत खसरा नंबर 78 के लिए अन्य कोई सुविधाजनक व नजदीकी रास्ता नहीं है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पैरोकारराज द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांकित 26.04.2022, 30.05.2022,31.10.2022 एवं खसरा नंबर 78, 68/79, 687/79, 80, 597/81 के द्वारा प्रस्तुत समझौतानाम बाबत अपनी खातेदारी भूमि में से चल आ रहे रास्ते को राजस्व रिकार्ड में कटटाणी दर्ज कराने का अवलोकन किया गया। पैरोकारराज द्वारा दिनांक 27.10.2022 को उभयपक्षकारान की उपस्थिति में फर्द मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई है। न्यायालय तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा अपने मुकदमा नंबर 06/2015 निर्णय दिनांक 21.08.2015 में उक्त रास्ते को प्रचलित रास्ता मानतें हुए निर्णय पारित किया गया है। एवं खसरा नंबर 78, 68/79, 687/79, 80, 597/81 के खातेदारों द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा बाबत् कटानी रास्ते दर्ज करवानें में भी स्पष्ट हो रहा है कि खसरा नंबर 75 के खातेदार द्वारा प्रचलित रास्ते को अवरूद्ध किया गया है एवं उक्त खसरान के खातेदारों द्वारा अपनी सहमति से आमजन को सुविधा के मध्यनजर कटाणी रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई है। जो आगे चलकर ग्राम पुन्दलसर की ओर जाता है। एवं प्रार्थी द्वारा खेत खसरा नंबर 78 की पूर्वी सीमा के चिपते खेत खसरा नंबर 75 की उतरी सीमा में से जिस रास्ते की मांग की गई है वह रास्ता प्रचलित रास्ता भी है। लिहाजा प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 78 तादादी 2.3100 हैक्टेयर रोही ग्राम सालासर का रास्ता खेत खसरा नंबर 75 की उतरी सीमा में जो प्रचलित रास्ता है की लम्बाई 182 मीटर को मद्धेनजर रखतें हुए 5 मीटर चौडाई कुल क्षेत्रफल 910 वर्गमीटर को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के खेत खसरा नम्बर 75 में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में लाल स्याही अंकन किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 75 में से 910 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में ली जायगी जिसका डी.एल.सी दर से प्रतिकर राशि 80444/—रूपये प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 01 ता 7 को दिलाया जाना न्यायोचित है। तहसीलदार उंक्त प्रतिकर राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के नाम निर्णय के 15 दिवस में प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के खेत खसरा नम्बर 75 में से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का अंकन आदेशानुसार कर रिकार्ड में अमल दरामद करें।

आदेश आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में कम होकर दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.04 11:00:12 IST
Reason: SelfAttested

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ